

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 05/2024

दायर् दिनांक 08.01.2024

वादी

प्रतिवादीगण

1. खेमाराम पुत्र श्री गणेशा
राम जाति मेघवाल निवासी
रसाल तहसील कुचामन
सिटी जिला
डीडवाना-कुचामन राज0।

1. बजरंगलाल पुत्र श्री दुलाराम जाति बावरी निवासी खाखोली
तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान।
2. गजानन्द पुत्र श्री दुलाराम
3. हेमराज पुत्र श्री दुलाराम
4. सुरेश पुत्र श्री दुलाराम
5. सोनी देवी धर्मपत्नी श्री दुलाराम
6. चुकी देवी धर्मपत्नी श्री मंगला राम
7. चान्दमल पुत्र श्री कानाराम
8. जगूराम पुत्र श्री मंगलाराम
9. नेमीचन्द पुत्र श्री कानाराम
10. प्रमेश्वरी देवी पुत्री श्री रूपाराम व पत्नी श्री देवराज
11. अनिता देवी पुत्री श्री कानाराम व पत्नी ओमप्रकाश
12. बाबुलाल पुत्र श्री दुलाराम
13. मंजू देवी पुत्री श्री कानाराम व पत्नी श्री बाबुलाल
14. मुन्नी पुत्री श्री कानाराम व पत्नी श्री हरीराम
15. मैना कुमारी पुत्री श्री कानाराम
16. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री रूपाराम
17. मोहनराम पुत्र श्री लिछमण राम
18. राधेश्याम पुत्र श्री मंगला राम
19. राधा देवी पुत्री श्री कानाराम व पत्नी श्री गोविन्दराम
20. रामेश्वर लाल पुत्र श्री रूपाराम
21. गोपाल राम पुत्र श्री रूपाराम
22. ग्यारसी देवी धर्मपत्नी श्री कानाराम
23. सोमती कुमारी पुत्री श्री कानाराम व पत्नी श्री भीवराज
24. कमल किशोर पुत्र श्री मंगला राम
25. मांगी देवी धर्मपत्नी श्री श्रवण राम
26. रामचन्द्र पुत्र श्री श्रवणराम
27. बिमला पुत्री श्री श्रवण राम व पत्नी श्री पप्पुराम
28. कैलाश देवी पुत्री श्री श्रवणराम व पत्नी श्री किशोर कुमार
29. सुमन देवी धर्मपत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार
30. मोहित पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरनी
संरक्षक माता सुमन देवी धर्मपत्नी सुरेन्द्र कुमार
31. शिवानी पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरनी
संरक्षक माता सुमन देवी धर्मपत्नी सुरेन्द्र कुमार सर्वजाति
बावरी निवासीगण खाखोली तहसील मौलासर जिला
डीडवाना-कुचामन
32. तहसीलदार मौलासर।

बनाम्

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, बंटवारा व रूपाई निषेधाज्ञा

हसब धारा-88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मुकेश थोरी वकील वादी।

-:: अन्तिम निर्णय ::-

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि सरहद खाखोली पटवार खाखोली भू
अ. नि. क्षेत्र नूवां तहसील मौलासर के खेत खसरा सं. 262 रकबा 4.3700 हैक्टे. की भूमि में वादीगण व

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 12.05.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मौलासर को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांक: राजस्व/2025/239 दिनांक 03.06.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार मौलासर के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: राजस्व/2025/239 दिनांक 03.06.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

राजस्व ग्राम खाखोली पटवार हल्का खाखोली भू. अ. नि. क्षेत्र नूवां तहसील मौलासर के खेत खसरा सं. 262 रकबा 4.3700 हैक्टे. की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: राजस्व/2025/239 दिनांक 03.06.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार मौलासर का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: राजस्व/2025/239 दिनांक 03.06.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

ikas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

ikas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना